

समाहरणालय, मधेपुरा

(शरन शासा)

--: आदेश :-

१०/११६

श्री देवाशीष बोस, पिता-स्व० नरेन्द्र कुमार, सा०-मधेपुरा वार्ड नं०-०९, आजाद नगर, थाना+जिला-मधेपुरा को एक, एन०पी०बोर रिवाल्वर की अनुज्ञाप्ति संख्या-१५/२००५ (मधेपुरा थाना) प्राप्त है, जिस पर रिवाल्वर संख्या-FA-7332 By Spain धारित है। उनकी पत्नी श्रीमती सपना बोस, पति-स्व० देवाशीष बोस, सा०-मधेपुरा वार्ड नं०-०९, आजाद नगर, थाना+जिला-मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पति देवाशीष बोस की मृत्यु दिनांक 21.08.2016 को हो चुकी है।

अतः श्रीमती सपना बोस, पति-स्व० देवाशीष बोस द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में शरन अधिनियम की धारा १७ (६) के तहत उनके पति स्व० देवाशीष बोस के नाम से निर्णय एन०पी०बोर रिवाल्वर की अनुज्ञाप्ति संख्या-१५/२००५ को रद्द किया जाता है तथा शरन अधिनियम की धारा २१ (१) के तहत धारित रिवाल्वर संख्या-FA-7332 By Spain को मधेपुरा थाना के मालखाना में रखाने की अनुमति दी जाती है एवं आवेदिका श्रीमती सपना बोस, पति-स्व० देवाशीष बोस को निदेश दिया जाता है कि मृतक के नाम से निर्णय मूल शरन अनुज्ञाप्ति एवं शरन जमा किए गए शरन की पावरी रखीद की प्रति जिला शरन दण्डाधिकारी मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शरन दण्डाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरान्त उक्त आशय की प्रविष्टि संबंधित अनुज्ञाप्ति पंजी में कराते हुए अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

६०/-

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक..... ११२/श०, मधेपुरा, दिनांक २९.१०.२०१६

प्रतिलिपि : श्रीमती सपना बोस, पति-स्व० देवाशीष बोस, सा०-मधेपुरा वार्ड नं०-०९, आजाद नगर, थाना+जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल दण्डाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सम्पूर्ण बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा